

B.A.G. Films and Media Limited

"CIN: L74899DL1993PLC051841" FC-23, Sector 16A, Film City, Noida 201 301

Tel.: 0120 4602424 | Fax : 0120 3911401 Mail : info@bagnetwork.in

Mail: info@bagnetwork.in www.bagnetwork24.in

BAG/STX/letters/2023-24/AM/1286 September 5, 2023

Scrip Code: 532507	SYMBOL: BAGFILMS
Dalal Street, Mumbai-400 001	Bandra (E), Mumbai-400 051
Phiroze Jeejeebhoy Towers,	Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex,
BSE Limited,	National Stock Exchange of India Limited
Listing Compliance Department	Listing Compliance Department
To,	To,

Sub: Newspaper Advertisement - Notice of 30th Annual General Meeting of the Company, E-voting and Book Closure Intimation

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III and Regulation 42 and 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, and in compliance with Section 91 and 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and General Circular dated May 5, 2020 read with General Circular No. 14/2020 dated 8th April, 2020, Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020, Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020, Circular No. 02/2021 dated 13th January, 2021, Circular No. 21/2021 dated 14th December, 2021, 02/2022 dated 5th May 2022 and Circular No. 10/2022 dated 28th December, 2022 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, Circular No. SEBI/HO/DDHS/P/ CIR/2022/0063 dated 13th May, 2022 and Circular No. SEBI/HO/CRD/PoD-2/P/ CIR/2023/4 dated January 05, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India, please find attached herewith the copies of newspaper advertisements published in the Business Standard-English and Business Standard-Hindi editions dated September 5, 2023, for giving Notice of the 30th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company scheduled to be held on Wednesday, September 27, 2023, at 4:30 P.M. (IST) through Video Conferencing('VC')/Other Audio Visual Means ('OAVM') including e-voting details and Book Closure information for the purpose of AGM.

You are requested to take the same on your record.

Thanking You Yours sincerely

For B.A.G. Films and Media Limites

(Rajeev Parashar) Company Secretary & Compliance Officer

Encl: a/a w s





e









'ONE NATION, ONE ELECTION' PROPOSAL

Govt move fuels savings vs anti-federal debate



THE COST OF **ELECTIONS**

Election Commission (shared 50:50 when Assembly polls held concurrently with Lok Sabha polls) _2,000 _1,000 10.45 2014 Source: ECI Electoral Statistics Pocket Book 2015

THE MANPOWER

 $_{(\mbox{\scriptsize ${\vec \tau}$ CI)$}}$ Election Commission's resource requirement projection for 2024

	Description	2014 LS polls	2019 LS polls	2024 LS polls	NITI Aayog 2017 estimate of one nation, one election*	
0	No. of personnel (mn)	10	11	12		
0	No. of polling stations (average 850 voters each polling station)	930,000	1,037,848	1,120,000	430,000 (additional polling stations)	
0	No. of EVMs: Balloting units and control units (mn)	1.87/1.72	2/1.9	2.25/2.1	0.86/0.8 (additional)	
	*NITI Aayog paper estimated the requirements if Assembly polls to 14 states were held simultaneously with 2019 LS elections, needing 2 balloting units and 1.9 controlling units per polling station; Source: Election Commission, NITI Aayog paper 2017					

ARCHIS MOHAN

t least since 2015, the Narendra Modi government has favoured simultaneous' Assembly and Lok Sabha polls, or 'one nation, one election', arguing that it would help the exchequer curtail election expenditure and expedite decision-making.

The Opposition, especially some regional parties and even the Congress, has opposed the government's proposal, calling it against the federal principle. Recent studies and electoral data reveal why the Bharatiya Janata Party-led government is pushing for one nation, one election.

The 2017 NITI Aayog discussion paper on 'simultaneous elections' by Bibek Debroy and Kishore Desai proposed holding at least 14 Assembly polls with the 2019 Lok Sabha polls, citing the significant savings to the exchequer. But it recognised the criticism that simultaneous Assembly and Lok Sabha polls could lead to a similar voting pattern.

A 2015 study by IDFC Institute, a think tank, found that from 1999 to 2014, there was a 77 per cent chance that electorates in India voted for the same party for both the state and Centre when elections were held simultaneously. Still, the figure

dropped to 61 per cent when elections were held even six months apart. When this cycle was disrupted further, only 48 per cent of the constituencies produced the same party winner.

According to an analysis by Sanjav Kumar and Jagdeep Chhokar, which Debroy's paper discussed, from the 1989 Lok Sabha elections to 2014, there were 31 instances of simultaneous polls for Assemblies and Lok Sabha. In 24 elections, the major political parties polled almost a similar proportion of votes for the Assembly and the Lok Sabha, while only in seven instances was the voters' choice somewhat different.

Debroy and Desai argued the cost to the government for conducting Lok Sabha elections "has seen a significant jump". They recognised that 'one election' would require constitutional amendments but said frequent elections disrupted governance and development work and forced governments to take populist measures. The two said that compared to the cost incurred for conducting the 2009 Lok Sabha elections at about ₹1,115 crore, the same for 2014 tripled to about ₹3.870 crore. In addition, the 2015 Bihar polls cost ₹300 crore and Gujarat's in 2017 ₹240 crore, when these and others could have been held alongside the Lok Sabha elections.

of 8 national

parties

"Clearly, frequent elections take away opportunities to optimise such costs and lead to a significant yearly outflow of public money every year," it said. In contrast, it said the Election Commission estimates ₹4.500 crore in case elections are held simultaneously, the paper stated.

There is a reason why the Congress and its allies are wary of the proposal. In 2018, the Congress won the Assembly polls in Madhya Pradesh, Chhattisgarh, and Rajasthan. It beat the incumbent BJP in terms of the number of seats won and vote share secured on the back of local issues, including agrarian distress.

Five months later, in the 2019 Lok Sabha polls, the BJP secured 59 per cent of votes in Rajasthan, improving nearly 20 per cent from its Assembly showing. The results in MP and Chhattisgarh were similar. However, by October, when Maharashtra, Jharkhand, and Haryana held their polls — three states that the BJP had swept in the May 2019 Lok Sabha polls the situation it faced had changed. It lost its government in Jharkhand, while Maharashtra and Jharkhand threw up fractured verdicts. In 2020, the BJP lost in the Delhi Assembly polls, where it had won all seven Lok Sabha seats in 2019 May, and struggled to repeat its Lok Sabha performance in the Bihar Assembly polls.

8,829.16

BJP SAW 21% INCREASE IN ASSETS, CONG AT TOP IN LIABILITIES

ΔΡΟΗΙς ΜΟΗΔΝ

ccording to an analysis by the Association for Democratic A Reforms (ADR), the assets of national parties increased by 21 per cent between FY2020-21 and FY22. The report analyses the assets and liabilities declared by eight national parties the Bharatiya Janata Party (BJP), Congress (INC), Nationalist Congress Party (NCP), Bahujan Samaj Party (BSP), Communist Party of India (CPI), Communist Party of India (Marxist), Trinamool Congress (AITC), and National People's Party (NPEP) for FY 2020-21 and 2021-22. In FY21, the BJP declared essets worth ₹4,990 crore up by 21,17 per cent to ₹6,046.81 crore in 2021-22. The BSP was the only national party to show its assets decline in the period analysed — from ₹732.79 crore in FY21 to ₹690.71 crore in FY22. The liabilities declared by the eight national parties during FY21 was ₹103.55 crore, which decreased to ₹62.67 crore in FY22. In 2020-21, the Congress declared the highest liabilities of ₹71.58 crore in FY21, which decreased by ₹29.63 crore to ₹41.95 crore in FY22. While the CPI (M)'s liabilities declined from ₹16.10 crore to ₹12.21 crore in the same period, that of BJP declined from ₹11.20 crore to ₹5.17 crore. The AITC's liabilities decreased to ₹2.56 crore from ₹3.86 crore and NCP's decreased by ₹1 lakh from ₹73.2 lakh. While the CPI's liabilities stood at ₹6.28 lakh for both years, the BSP and NPEP declared zero amount.

(in ₹crore) Change in % BJP Assets declared in FY21 (in ₹ crore) Assets declared in FY22 (in ₹ crore) 4.990.19 Change in % 6,046.81 **BSP** CPI (M) 732.79 654.79 690.71 -5.74% 🕶 12.36% 805.68 AITC NCP 182 30.93 74.53 140.96%

DGFT should review circular on sale of IPA from SEZ to DTA



CHATROOM

T N C RAJAGOPALAN

Import of Iso Propyl Alcohol (IPA) is subject to countrywise OR i.e. quantitative restrictions (DGFT notification no.64 dated 31.03.2013). The procedures to import IPA under a registration certificate is prescribed (DGFT Public notice no.4 dated 11.04.2023). We are a SEZ unit where we have imported IPA from China but due to some production difficulties, we are unable to use the

imported IPA immediately. A DTA party holding the registration certificate for import of IPA from China is willing to buy IPA from us. Can we sell the IPA imported from China to the DTA party against the registration certificate? No. The DGFT Policy Circular

no.4 dated 31.08.2023 says that import of IPA in SEZ is not subject to country-wise QR provided that no DTA sale of IPA is allowed by SEZ units. I think the circular needs a review because, if a DTA party holds a registration certificate for import of IPA from China, there is no reason to not allow the party to buy the IPA imported from China, from any SEZ unit against the same registration certificate.

Adani Hazira Port Pvt Ltd (HPPL) has said that it will collect extra charges of ₹2.500 for a 20 feet container

and ₹4,000 for 40 and 45 feet boxes from container freight station (CFS) operators when import loaded containers are taken to a CFS as nominated by the lines. The CFS operators have protested saying these are arbitrary charges by the port operator abusing its dominant position. What recourse is available against

such practices? Section 4(1) of the Competition Act, 2002 says that no enterprise or group shall abuse its dominant position. Section 4(2) of the said Act deals with the related matters in some detail. It is difficult to deal with all the technicalities here. I suggest that you may go through that Section and other relevant provisions in the said Act to determine whether the port operator HPPL is in a dominant position as per the said Act and whether the above mentioned levy by the port operator constitutes

decide whether the issue merits a complaint with the Competition Commission of India for suitable action and proceed accordingly. Rule 29(7) of the SEZ Rules,

abuse of dominant position as

per the said Act. You can then

15.72

11.88%

NPEP

2006 says that re-import of exported goods must be made within one year from the date of export or the warranty period or validity of maintenance contract, whichever is later. Our customer has returned a consignment of defective goods exported by us more than one year back. It is not under any warranty clause or maintenance contract. How to get it back?

In my opinion, the defective finished goods are your inputs necessary to carry on your authorised operations and so, must be allowed under Rule 27(1) of the said Rules. Anyway, you may ask the Development Commissioner to permit reimport of the goods and also to get the said Rule 29(7) amended suitably, as the restriction makes no sense.

SYNERGY GREEN INDUSTRIES LIMITED

SYNERGY Regd. office: 392, E Ward, Shahupuri, Kolhapur-416001 Maharashtra Tel: 0231-2658375 Web site: www.synergygreenind.com Email ID: nmm@synergygreenind.com

(d)

GREEN

Members are hereby informed that pursuant to section 110 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 Synergy Green Industries Limited (the Company) is seeking the consent of its Members for passing Special Resolutions by way of Postal Ballot including voting by electronic means (e-voting) with respect to the proposed resolutions as stated in the Postal Ballot Notice dated August 09,

The Postal Ballot Notice and Form have been sent electronically to the Members on their e-mail ids registered with the Depositories Registrar and Share Transfer Agents. The persons whose names are recorded in the Register of Member or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories Registrar and Share Transfer Agents as on Friday, September 1, 2023 ("Cut-off Date") shall be entitled to avail the facility of remote e-voting and their voting rights shall be reckoned on the basis of their holding as on the same date. Any person who is not a Member of the Company as on the cut-off Date shall treat on the Postal Ballot Notice for information purposes only. The company has completed the dispatch email of Postal Ballot Notice and Postal Ballot Form on Tuesday, September 5, 2023.

In compliance with the provision of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of SEBI ('Listing Obligations & Disclosure Requirements') Regulations, 2015, the company is providing e-voting facility to the Members to cast their vote by electronic means on the resolutions set in the Postal Ballot Notice, through e-voting services provided by National Security Depositories Limited ("NSDL"). The instruction for e-voting is given in the Postal Ballot Notice. The evoting facility is available from 9.00 a.m. on Wednesday, September 6, 2023 to 5.00 p.m. on Thursday, October 5, 2023. Any response received from the Members after the close of working hours, i.e. 5.00 p.m. on Thursday, October 5, 2023, will

Member may opt for voting only through one mode, i.e. either by Postal Ballot or by e-voting. In case a Member has voted through e-voting as well as physical postal ballot from, the vote casted through e-voting shall prevail and the vote casted through physical postal ballot from shall be treated as invalid.

A copy of the Postal Ballot Notice is also made available on the website of the Company at www.synergygreenind.com and on the website of the Stock Exchanges, viz. BSE Limitedwww.bseindia.com & www.nseindia.com. The result of the Postal Ballot will be announced on or before Saturday, October 7, 2023 and be displayed on the website of the Company, viz., www.synergygreenind.com and shall simultaneously be communicated to the Stock Exchanges.

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request to Mr. Anubhav Saxena at evoting@nsdl.co.in

By order of the Board of Directors Of Synergy Green Industries Limited Sd/-

Nilesh M. Mankar **Company Secretary** Memb. No. A39928

Genus **Genus Power Infrastructures Limited**

(Registered Office: G-123, Sector-63, Noida-201307, Uttar Pradesh)

Fel.: +91-120-2581999; E-mail: cs@genus.in; Website: www.genuspower.com; CIN: L51909UP1992PLC05199

Notice of the 31st Annual General Meeting. **Record Date and E-Voting Information**

Genus Power Infrastructures Limited ("the Company") will be held on Thursday, September 28, 2023 at 11:00 a.m. IST through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, read with the applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and the SEBI, in this regard (Collectively referred to as "applicable circulars") transact the business as set forth in the Notice of AGM. The Members can join the AGM in the VC/OAVM mode 30 minutes before and after the scheduled time of the commencement of AGM by following the procedure mentioned in the Notice of AGM.

Notice is hereby given that the 31st Annual General Meeting ("AGM") of the Members of

In accordance with the applicable circulars, the Notice of AGM and Annual Report for the financial year 2022-23 have been sent on September 04, 2023 to all those Members of the Company, whose email addresses are registered with the Company/Registrar and Transfer Agent ("RTA")/Depository Participant(s) /Depositories. The aforesaid documents are also available on website of the Company at www.genuspower.com, website of the Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") at www.evotingindia.com and website of the Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

electronically on the business as set forth in the Notice of AGM through remote e-voting or evoting during the AGM. The detailed procedure or instructions for e-voting and joining the AGM are provided in the Notice of AGM. In this regard, the Members are hereby informed

- (i) The remote e-voting shall commence on Monday, September 25, 2023 at 9.00 am (IST) and end on Wednesday, September 27, 2023 at 5.00 pm (IST). The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.
- The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting after 5.00 p.m. (IST)
- (iii) It is hereby clarified that it is not mandatory for a member to vote using the remote evoting facility. Members have also an option to cast their vote through e-voting by attending the AGM. Members can opt for only one mode of voting. The Members who
- have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.

 A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e. September 21, 2023 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting during the AGM. A person, who is not a Member as on the said cut-off date, should treat
- this Notice or Notice of AGM for information purposes only.

 Members, who are holding shares in physical form or who have not registered their email addresses with the Company, can cast their vote through remote e-voting or through the e-voting system during the AGM by following the procedures/instructions, mentioned in the Notice of the AGM.
- Members, who have not registered their Email IDs or those who have acquired shares after the dispatch of the Notice of the AGM including the Annual Report and who continue holding shares as on the cut-off date, i.e. Thursday, September 21, 2023, can obtain/generate the user ID and password as per the instructions provided in the Notice of AGM for e-voting. However, if a person is already registered with CDSL/NSDL for evoting, then existing login ID and password can be used for casting vote. Member can also login using the login credentials of his/her demat account through his/her depository participant registered with NSDL/CDSL for e-voting facility. Members are advised to update their mobile number and email-id in their demat accounts in order to
- access e-voting facility.

 (vii) Members, who are present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system available during the
- (viii) Member, participating through the VC/OAVM facility, shall be reckoned for the purpose
- of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. (ix) If you have any queries or issues regarding attending AGM and e-Voting from the CDSL e-Voting System, you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 22 55 33. (x) All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be
- addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.comorcall toll free no. 1800 22 55 33.
- (xi) The Company has appointed Mr. Sandeep Jain (Membership No. FCS 5398, CP No. 4151) and in his absence Ms. Lata Gyanmalani (Membership No. FCS 10106, CP No. 9774), partners of M/s. ARMS & Associates LLP, Company Secretaries, Jaipur as the Scrutinizer to scrutinize the voting at the AGM and remote e-voting process, in a fair and

transparent manner. The Board of Directors has recommended a dividend of Re.0.75 (Seventy Five paisa) per equity share of face value of Re.11- each (75% of the face value) for the FY 2022-23 to the Members for their approval. The Company has fixed Thursday, September 21, 2023 as the "Record Date" for the purpose of determining the Members eligible to receive dividend for the financial year 2022-23. The dividend, if declared at the AGM, will be paid within a period of 30 days from the conclusion of the AGM to those Members whose name appears in the Register of Members as of the close of business hours on Thursday, September 21, 2023 subject to deduction of tax at source, where applicable. The dividend will be paid through various online transfer modes to the Members who have updated their bank account detail Dividend warrants / demand drafts will be dispatched to the registered address of the Members who have not updated their bank account details. To avoid delay in receiving dividend directly in bank account, Members are requested to update their bank details with their Depository Participants, where shares are held in dematerialised mode, and with the RTA/Company, where the shares are held in physical mode. Pursuant to the Income Tax Act, 1961, as amended by Finance Act 2020, dividend income is taxable in the hands of Members and the Company is required to deduct tax at source (TDS) from dividend paid to Members at the prescribed rates. To enable compliance with respect to TDS. Members are requested to update their PAN with the Company/RTA (in case shares are held in physical mode) and depositories (in case shares are held in demat mode).

For Genus Power Infrastructures Limited Dated : September 04, 2023

TTI ENTERPRISE I IMITED

(CIN : L67120WB1981PLC033771)
Registered Office : Room No-822, 8th Floor, 4 Synagogue Street, Kolkata - 700001
Contact Details : +91 9460844169
Website : www.ttienterprises.com, Email Address: tti1711@gmail.com

NOTICE OF THE 42ND ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 42rd Annual General Meeting (AGM) of the Members of TTI ENTERPRISE LIMITED will be held on Friday, 29th September, 2023 a 11.00 a.m. through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the business, as set out in the Notice of the AGM. The Company has sent the Annual Report along with Notice convening AGM on 2nd September 2023 through electronic mode to all the Members whose e-mail IDs are registered with the Depository Participant(s) / Company's Registrar & Share Transfer Agent, Niche Technologies Privat Limited ("RTA"), in accordance with the pursuant to General Circular No. 14/2020 dated 8 April, 2020 read with General Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020 read with Genera ircular No. 39/2020 dated 31st December, 2020, 10/2021 dated 23st June, 2021 and 0/2021 dated 8st December, 2021 and 3/2022 dated 5st May, 2022 and 11/2022 dated 28st December, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India (collectively referred to as "MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 read with Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May, 2022 and SEBI/HO/CFD/POD-2/P/CIR/2023/4 dated 5" January, 2023 issued by the Securities and Exchange Board o India (collectively referred to as "SEBI Circulars"). The Annual Report along with the Notice convening the 42nd AGM is also available on the website of the Company awww.ttienterprises.com and on the website of Stock Exchanges i.e. BSE Limited a

Notice is also hereby given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Companie ct 2013 the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will rema closed on 23rd September, 2023 to 29th September, 2023 (both days inclusive) for the

rursuant to the provisions of Section 108 of the Act and Rule 20 of the Companie Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of the lecurities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the members are provided with the facility to cast thei vote electronically through e-voting services provided by the RTA on all resolutions as se orth in the AGM Notice. The voting rights of the members shall be in proportion to the quity Shares held by them in the paid-up Equity Share Capital of the Company as on 22 September, 2023 ('cut-off date').

The remote e-voting period commences on Tuesday, 26th September, 2023 at 9.00 a.m. and will end on Thursday, 28th September, 2023 at 5.00 p.m. During this period, the Members may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled thereafter. Those Members, who shall be present in the AGM through VC/OAVM facility and had not cast their votes on the Resolutions through remote e-voting and are otherwis not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM. The Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their votes

Members holding shares in physical form who have not registered their email address ar equested to register their email addresses with respective Depository Participants and are equested to update their email addresses with Company's Registrar and Share Transfe Agent, Niche Technologies Private Limited, temporarily update their email address by accessing the link https://www.nichetechpl.com/email-and-phone-updation/ for updating of e-mail ID and contact number and obtain Notice, Annual Report 2022-2023 and/or logi etails for joining the AGM through VC/OAVM facility including e-voting

Members are requested to carefully read all the instructions detailed in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, Manner of casting vote through Remote e-voting or e-voting during AGM.

ny query or grievance in relation to voting by e-voting can be addressed to the NSDL o Registrars of the Company Niche Technologies Private Limited can be forwarded a email: evoting@nsdl.co.in or nichetechpl@nichetechpl.com.

Place : Kolkatta Date : 04.09.23

B.A.G. Films and Media Limited

CIN: L74899DL1993PLC051841 Regd. Office: 352, Aggarwal Plaza, Plot No.8, Kondli, New Delhi-110096 Corporate Office: FC-23, Sector-16A, Film City. Noida-201301, (U.P.) **Tel**: 91 120 460 2424, **Fax No.** 91 120 3911 401 **Web**: www.bagnetwork24.in, **Mail**: info@bagnetwork.ir

NOTICE is hereby given that the 30th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of B.A.G. Films and Media Limited ("the Company") will be held on Wednesday, September 27, 2023 at 4:30 P.M.(IST) through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with General Circular No. 14/2020 & 17/2020 dated April 8, 2020, April 13, 2020, Circular No. 02/2021 dated 5th May 2022, Circular No. 21/2021 dated 14th December, 2021 and 02/2022 dated 5th May 2022, Circular No. 10/2022 dated 28th December 2022 respectively (collectively referred to as "MCA Circulars") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI') vide its Circular No. 5EBI/HO/CPD/CMD1/CIR/P/2020/19 dated May 12, 2020, SEBI/HO/CPD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, Circular No. SEBI/HO/CDD/PoD-2/P/CIR/2022/063 dated May 13, 2022 and Circular No. SEBI/HO/CDD/PoD-2/P/CIR/2022/063 dated May 13, 2022 and Circular No. SEBI/HO/CDD/PoD-2/P/CIR/2022/04 dated January 05, 2023 ("collectively referred to as SEBI Circulars") prescribed the procedures and manner of conducting the Annual SEBI Circulars") prescribed the procedures and manner of conducting the Annua General Meeting through VC/OAVM without the physical presence of the Members at the common venue. In compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("the SEBI Listing Regulations") read with other MCA Circulars and SEBI Circulars, the 30 th AGM of the Members of the Company will be held through VC / OAVM.

n compliance with said MCA Circulars and SEBI Circulars, electronic copies of the Notice of 30" AGM and Annual Report for the Financial Year 2022-23 of the Company has been send to all the Members on September 1, 2023, whose e-mail addresses are registered with the Company or Registrar and Share Transfer Agent or Depository Participants. The same are also available on the Company's website-<u>www.bagnetwork24.in</u>, website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and also available on the e-voting rebsite of National Securities Depositories Limited (NSDL) at i.e. www.evoting.nsdl.com. Pursuant to the provisions of Section 91 of the Act read with rules made thereunder and Regulation 42 of the SEBI Listing Regulations, as amended, the Register of Membe Share Transfer books of the Company will remain closed from Thursday, September 21, 2023 to Wednesday, September 27, 2023 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

Pursuant to Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, Section 108 of the Act read Secretarial Standard on General Meetings issued by Institute of Company Secretaries of Secretarial standard on General investings issued by institute or Company Secretarias of India, as amended from time to time, the Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions as set forth in the Notice of 30th AGM using electronic voting system (e-voting) provided by NSDL. The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e. Wednesday, September 20, 2023.

Detailed procedure for remote e-voting/e-voting and to attend the AGM through VC/OAVM through the NSDL is provided in the Notice of the 30th AGM. The Members are equested to read the instructions pertaining to e-voting/ AGM through VC/OAVM as described in the Notice of 30" AGM carefully.

- All Members are informed that: The businesses as stated in the Notice of 30th AGM will be transacted by electronic
- means through e-voting platform of NSDL i.e. www.evoting.nsdl.com;
- The remote e-voting shall commence on Saturday, September 23, 2023 at 9:00 an (IST) and ends on Tuesday, September 26, 2023 at 5:00 pm (IST); The Cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means (remote E-voting before the AGM as well as E-voting during the AGM) is Wednesday

September 20, 2023:

- A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote E-voting before the AGM as well as E-voting during the AGM. Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the e-mail of the Notice of 30th AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. **Wednesday**, **September 20**, **2023**, may obtain the User ID and Password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if a person is already registered with NSDL for e-voting, then existing user ID and password can be
- Members present in the AGM through VC/OAVM facility and who had not cast their votes on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM;
- (a) The remote e-voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for e-voting and the remote e-voting shall not be allowed beyond the specified period:
- (b) Once the vote on a resolution is cast by the members, they shall not be allowed to
- change it subsequently;
 (c) The facility for electronic voting shall be made available at the AGM for the members who have not cast their votes by remote e-voting;
- (d) Members who have cast their vote on resolution(s) by remote E-voting prior to the AGM will also be eligible to participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote on such resolution(s) again.

The relevant documents referred to in this Notice are available for inspection by the Members through electronic mode. The Members may write to the Company at <u>nfo@bagnetwork.in</u> in this regard, by mentioning "Request for Inspection" in the subjec

Any query / concern / grievances connected with voting/AGM by electronic means, if any may be addressed to the Company by writing to Mr. Rajeev Parashar, Company Secretary-B.A.G. Films and Media Limited, at the Registered Office/Corporate Office of the Company or through email at info@bagnetwork.in or call at Tel: +91 120 460 2424. Members, who have not registered their email address and/or updated their bank acc nandate, please follow below instructions:

Register/Update the details in prescribed Form-ISR-1 dully filled along with self-attested supporting documents and other relevant forms with Alankit Assignments Limited, Registrar and Share Transfer Agent of the Company at kycupdate@alankit.com.

Members may download the prescribed forms from the Company's website link at https://bagnetwork24.in/shareholders-corner/

Register/Update your email address with the relevant Depository

M/s Balika Sharma & Associates, Practicing Company Secretary (Membership No. FCS 4816 and COP No. 3222) has been appointed as the Scrutinizer by the Board of Directors to scrutinize the remote e-voting process before the AGM as well as e-voting during the AGM in a fair and transparent manner. In case you have any queries/grievances pertaining to remote e-voting (before the AGM and during the AGM), you may refer to the Frequently Asked Questions ('FAQs') for

Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available in the download section of www.evoting.nsdl.com or call on the toll-free number: 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager-NSDL at

By Order of the Board of Directors For **B.A.G. Films and Media Limited** Raieev Parashar

You can write to us at smechat@bsmail.in

Business Standard invites readers' SME queries related to GST, export and import matters.



कार्यालय वसूली अधिकारी-I ऋण वसूली अधिकरण-II, दिल्ली चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

बिक्री उदघोषणा सचन

आर.सी. सं. 339/2014 मैसर्स पेगासस एसेट रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड बनाम हैलेक्स एप्लायड पॉवर लिमिटेड बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाए ऋणों की वसुली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम. 1961 की दितीय

अनुसूची के नियम 52 (2) के अंतर्गत बिक्री उद्घोषणा सीडी#1 हैलेक्स एप्लायड पावर प्राइवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः ए-49, इंजन हाउस मोहन कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीयल एस्टेट मथुरा रोड, नई

दिल्ली-110044 सीडी#2 एशियन पावर कंट्रोल लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय, पताः 96, अर्काडिया, नरीमन प्वाइंट, मुंबई–400021

सीडी#3 हैलेक्स इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रकर. पंजीकृत कार्यालयः ए-49, इंजन हाउस मोहन कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट मथुरा रोड, नई दिल्ली-11004 सीडी#4 श्री मनीष मोहन मुक्कर, पुत्र श्री मोहन मुक्कर निवासी एए/8, शिव वाटिका, अंसल विला-सतबाड़ी, छतरपुर, नई दिल्ली-110030 नियम एवं शर्तें

. जबकि प्रतिवादियों के विरुद्ध मुकदमा दाखिल करने की तिथि से वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार लागत और शुल्क सहित प्रमाणपत्र देनदारों र 14.25% वार्षिक ब्याज के साथ रु. 16.31.45.540.00 (रुपये सोलह करोड़ इकतीस लाख पैंतालीस हजार पांच सौ चालीस मात्र) कं वसूली के लिए पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-II द्वारा आहरित ओए संख्या 174/2011 दिनांक 19.09.2014 में वसूली प्रमा पत्र संख्या 339/2014 तैयार किया गया था। (वसूली योग्य राशि रु. 16,31,45,540.00 (लगभग) है)।

 तथा जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त वसुली प्रमाण पत्र की संतुष्टि के लिए नीचे अनुसुचित सम्पत्ति की बिक्री का आदेश दिया है। . ७. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में उक्त सम्पत्ति की बिक्री ई-नीलामी द्वारा की जायेगी और यह बोर्ल o6.10.2023 को 11.00 बजे पूर्वा. से 12.00 बजे अप. **के बीच और यदि जरूरी हुआ तो 12 बजे दोपहर के उपरांत 5 मिनट के** विस्तार के साथ वेबसाइट : https://drt.auctiontiger.net के माध्यम से ''ऑनलाइन डलेक्टॉनिक बोली'' द्वारा सम्पन्न होगी। 4. यह बिक्री नीचे अनुसूची में नामित उपरोक्त सीडी की संपत्ति की होगी तथा उक्त संपत्ति से जुड़ी देयताएं एवं दावे, जो अब तक सुनिश्चित

वे प्रत्येक लॉट के समक्ष अनुसूची में निर्दिष्ट हैं। 5. संपत्ति को अनसची में निर्देष्ट के अनसार बिकी के लिए रखा जाएगा। यदि बिकी से प्राप्त होने वाली राशि संपत्ति के एक हिस्से की बिकी र ब्याज लागत (बिक्री की लागत सहित) बिक्री करने वाले अधिकारी के पास प्रस्तुत किया जाता है या उसकी संतुष्टि के लिए सबूत दिया जाता है

कि अधोहस्ताक्षरी को इस तरह के प्रमाण पत्र. ब्याज और लागत की राशि का भगतान कर दिया गया है तो बिक्री बंद कर दी जाएगी। 6. ऐसे किसी भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति बिक्री के सिलसिले में कोई कर्त्तव्य निर्वहन का दायित्व हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वे बेची जा रर्ह संपत्ति को अर्जितकरने के लिए बोली लगाने या कोई हित अर्जित करने के लिए प्रयास करने में अक्षम होंगे।

7. यह बिक्री आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्टशर्तों तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा आगे की निम्नलिखित शर्त

7.1. संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत की गई है, लेकिन, इस उद्घोषणा में किसी गलती. त्रटि अथवा खामी के लिए अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे।

7.2. आरक्षित मूल्य जिसके नीचे सम्पत्ति सं. 1. फ्लैट नं. I-214, अंसल क्लासिक टॉवर, प्लॉट नं. 1, जे. ब्लॉक, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली–110027 नहीं बेची जायेगी, वह **आरक्षित मूल्य : रु. 35,00,00**0/- (**रुपये पैंतीस लाख मात्र**) उपरोक्त पैरा (i) में उल्लिखित सम्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में तथ जमा धरोहर राशि (ईएमडी) : रु. 3.50.000 (रुपये तीन लाख पचास हजार मात्र) उपरोक्त पैरा (j) में उल्लिखित सम्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में है। 7.3. जिन इच्छूक बोलीदाताओं ने पैन कार्ड, पहचान प्रमाण, पते के प्रमाण आदि सहित दस्तावेजों के साथ आरक्षित मूल्य से ऊपर अपनी बोलि

अधिकतम 04.10.2023 **को** 5.00 **बजे अप.** तक कार्यालय वसूली अधिकारी–I, डीआरटी–II, दिल्ली में जमा कर दी है वे 06.10.2023 को 11.00 बजे पर्या. से 12.00 बजे अप. तक आयोजित होने वाली ई-नीलामी में भाग लेने के पात्र होंगे। यदि बोली नीलामी बन्द होने के अन्ति 5 मिनटों में रखी जाती है तो बन्द होने का समय स्वतः 5 मिनट के लिए विस्तारित हो जायेगा।

7.4. बोलीदाता सम्पत्ति के संबंध में अपने प्रस्ताव **रु. 1,00,000⁄- (रुपये एक लाख मात्र)** के गुणकों में बढ़ायेंगे।

7.5. असफल बोलीदाता ईएमडी राशि ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही बन्द होने के तुरन्त बाद कार्यालय वसुली अधिकारी-I, डीआरटी-II दिल्ली/सीएच अर्थात पेगासस से सीधे प्राप्त कर सकते हैं। 7.6. सफल/ उच्चतम बोलीदाता को ई–नीलामी की समाप्ति के उपरांत धरोहर राशि (ईएमडी) समायोजित करने के बाद 24 घंटे के भीतर रिकवर्र

अधिकारी-I. डीआरटी-II. दिल्ली खाता आरसी नं. 339/2014 के पक्ष में संविदा/विक्रय राशि के 25% का डिमांड डाफ्ट/पे आर्डर तैयार करन होगा तथा उसे रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-II, दिल्ली के कार्यालय में इस प्रकार भेजना होगा ताकि वह ई-नीलामी बन्द होने से 24 घण्टे के भीतर उस पते पर पहुंच जाएं अन्यथा ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।

7.7. सफल/उच्चतम बोलीदाता को संपत्ति नीलामी की तिथि से 15वें दिन, उस दिन को छोड़कर, अथवा यदि 15वाँ दिन रविवार या अन्य अवक दिवस होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम कार्यालय दिवस को रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-II, दिल्ली के समक्ष रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-II, दिल्ली के पक्ष में रु. 1000/- तक 2% तथा उससे अधिक की सकल राशि पर 1% की दर से पाउंडेज शुल्क के साथ रजिस्ट्रा डीआरटी-II. दिल्ली खाता **आर.सी. नं. 339/2014** के पक्ष में देय डीडी पे आर्डर द्वारा शेष 75% बिक्री राशि का भुगतान करना होगा। (डाव द्वारा शेष 75% राशि के भुगतान की स्थिति में वह उक्त रूप से रिकवरी अधिकारी के पास पहुंच जाना चाहिए)।

7.8. सफल/उच्चतम बोलीदाता इस फोरम के समक्ष जमा की जाने वाली प्रस्तावित नीलामी राशि पर प्रयुक्त टीडीएस का भुगतान करने के लिए आयकर अधिनयम की धारा 194-आईए के प्रावधानों का पालन करने के लिए स्वतंत्र होगा। ऐसी स्थित में. सफल/उच्चतम बोलीदाता को श बिक्री आय का भुगतान करते समय फोरम के समक्ष उक्त राशि जमा करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

7.9. निर्धारित अविध में भुगतान में चूक करने पर बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद संपत्ति की फिर से बिक्री की जाएगी। बिक्री के खर्चे को डेफ्रे करने के बाद, अधोहस्ताक्षरी यदि उपयुक्त समझते हैं, तो जमा की गई राशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी तथा चुक करने वा क्रेता को उस राशि अथवा जिसके लिए बाद में उसकी बिक्री की जाएगी, के प्रति दावे करने के सभी अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा। संपत्ति की बिक्री "जैसा है जहां है तथा जो है यही है" आधार पर की जा रही है।

9. सीएच बैंक/सीएचएफआई को यहां दिए गए विवरणों को प्रमाणित और सत्यापित करने का निर्देश दिया जाता है।

10. अधोहस्ताक्षरी को यदि अस्वीकार्य होता है तो किसी या सभी बोलियों को स्वीकार अथवा निरस्त करने या उसका कोई भी कारण बताए बिना किसी भी समय नीलामी को स्थगित करने का अधिकार है।

सम्पत्ति की अनुसूची						
बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरण	सम्पत्ति अथवा इसके किसी भाग पर आकलित राजस्व	उस ऋणभार का विवरण जो सम्पत्ति पर बकाया है	दावे, यदि कोई हों, जिसे सम्पत्ति पर किया गया है, तथा इसकी प्रकृति और मूल्य पर कोई अन्य ज्ञात विवरण			
 फ्लैट नं. I-214, अंसल क्लासिक टॉवर, प्लॉट नं. 1, जे. ब्लॉक, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली- 		अज्ञात	अज्ञात			

आर.सी. नं. 339/2014 दिनांक : 01.08.202

पेगासस एआरसी प्राइवेट लिमिटेड बनाम मैसर्स हैलेक्स एप्लायड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड कथित रिकवरी प्रमाण पत्र में मेरे आदेश तिथि 01.08.2023 के अनुसार दिनांक 06.10.2023 को सार्वजनिक ई नीलामी द्वारा नीचे वर्णित संप

यह नीलामी बिक्री वेबसाईटः https://drt.auctiontiger.net पर "ऑन लाईन ई-नीलामी" होगी। नीलामी की तिथि एवं समयः 06.10.2023 को 11.00 बजे पूर्वा. से 12.00 बजे अप. (12.00 बजे अप. के बाद यदि जरूरी हुआ त

5 मिनट की अवधि के विस्तार के साथ) सम्पत्ति का विवरण र्डएमडी आरक्षित मूल्य फ्लैट नं, I-214 (वाणिज्यिक यूनिट), अंसल क्लासिव टॉवर, प्लॉट नं. 1, जे. ब्लॉक, राजीरी गार्डन, नई दिल्ली-₹. 3,50,000 तीन लाख पचास हजार मात्र) (रुपये पैतीस लाख मात्र)

1. नीलामी विक्री वेबसाइट पोर्टल https://drt.auctiontiggr.net के माध्यम से ''ऑनलाइन ई-नीलामी''द्वारा की जायेगी। 2. ज.ध.रा. ''वसूली अधिकारी, डीआरटी-I, दिल्ली-खाता आर.सी. सं. 339/2014 के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर द्वारा एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से निम्नलिखित <mark>खाता : पेगासस ग्रुप थ्री ट्रस्ट-III तथा मुम्बई फोर्ट शाखा, मुम्बई समाचार मार्ग, पोस्ट</mark> बॉक्स नं. 282, मुम्बई-400001, आरटीजीएस विवरण : आईएफएससी कोड : IDIB000F523, जमा धरोहर राशि खाता सं. 50172747022 में जमा करनी होगी। उक्त डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर या ईएमडी के लिए एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान का मूल प्रमाण 501/2/10/22 ने जान करती होता करिता होता है है। उसे कि होता है है। इसे कि होता करता है है। इसे हैं। इसे हैं। इस और पहचान (बोटर आईडी कार्ड/ड्राइविंग ताइसेंस/पारपोर्ट) के स्व-प्रमाणित प्रति किसमें भावी सम्पर्क के लिए पता हो, तथा पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति के साथ अधिकतम 04.10.2023 को 5.00 बजे अपरास्न तक वसूली अधिकारी-I, डीआरटी-II, दिल्ली के पास पहुँच जानी वाहिए। इसके पश्चात प्राप्त ज.ध.रा. पर विचार नहीं किया जायेगा।

3. भेजने वाले के विवरण अर्थात पता. ई–मेल आईडी एवं मोबाइल नम्बर आदि सहित एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से ज.ध.रा. अथवा ज.ध.र

के भुगतान के मूल प्रमाण वाले लिफाफे पर ''आरसी सं. 339/2014'' लिखा जाना चाहिए। संपत्ति की बिक्री 'जैसा है जहां है'' तथा ''जो भी यही है'' आधार पर की जा रही है।

संविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी संविदाएँ जमा करने तथा ई-नीलामी विक्रय की कार्यवाहियों में भाग लेने से पूर्व ई-नीलामी विक्रय के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए पोर्टल https://drt.auctiontiger.net अवश्य देखें तथा/अथवा श्री र**माकात पांडे, वरिष्ठ प्रबंधक, मोबा**इ 9087788888, प्लॉट नंबर 2, यूनिट नंबर 106, बेस्ट बिजनेस पार्क, नेताजी सुभाष पैलेस, पीतमपुरा, दिल्ली-110034 पर सम्पर्क करें . संभावित बोलीदाता को पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा तथा अधिम में लॉगिन आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त करना होगा जो **मैसर्स ई-पोक्योरमेंट टेक्नोलॉजी** लिमिटेड, ए-801, वाल स्ट्रीट-II, सामने ओरिएण्ट क्लब, निकट गुजरात कॉलेज, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद -380006, दूरभाष नं. 9265562821/18/079-68135476/451/408/407, ई-मेल : support@auctiontiger.com, सम्पर्क व्यक्ति : श्री राम शर्मा, मोबार

ने. : 8000023297, **ई-मेल : ramprasad@auctiontiger.net** से प्राप्त करके उपर्युक्त ई-नीलामी में बोली के लिए अनिवार्य है। 7. इच्छुक बोलीदाता **मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ए-**801, **वाल स्ट्रीट-II, सामने ओरिएण्ट क्लब, निकट गुजरात कॉ**र ब्रिज, अहमदाबाद -380006, दूरभाष नं. : 9265562821/18/079)68135476/451/408/407 : support@auctiontiger.com, सम्पर्क व्यक्ति : श्री राम शर्मा, मोबाइल नं. : 8000023297

ई-मेल : ramprasad@auctiontiger.net से ई-नीलामी प्रक्रिया का ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। 8. इच्छुक क्रेता 18.09.2023 तथा 19.09.2023 को 10.30 बजे पूर्वा. से 04.00 बजे अप. तक साइट का निरीक्षण कर सकते हैं।

9. जिन संविदाकारों के पास वैध यूजर आईडी एवं पासवर्ड धारक तथा डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर या एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से ज.ध. का सुनिश्चित भुगतान होगा केवल वे ही ऑनलाइन ई-नीलामी में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। 10. इच्छुक संविदाकार जिन्होंने 04.10.2023 तक आरक्षित मूल्य से अधिक पर अपनी संविदाएँ जमा कर दी हैं केवल वे ही 06.10.2023 को 11.

बजे पूर्वा. से 12.00 बजे अप. तक आयोजित होने वाली ई-नीलामी में भाग लेने के पात्र होंगे। यदि संविदा नीलामी बन्द होने के समय के अन्तिम 5 मिनटों में रखी जाती है तो बन्द होने का समय स्वतः ही 5 मिनट विस्तारित हो जायेगा।

11. संविदाकार सम्पत्ति के संबंध में रु. 1,00,000/ (रुपये एक लाख मात्र) के गुणक में अपने प्रस्ताव बढायेंगे।

12. असफल संविदाकार ई−नीलामी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद तुरन्त वसूली अधिकारी−I, डीआरटी−II, दिल्ली∕सीएच अर्थात पेगासस के कार्यात से ईएमडी सीधे प्राप्त करेंगे।

13. सफल/उच्चतम संविदाकार को धरोहर राशि (ईएमडी) समायोजित करने के पश्चात वसुली अधिकारी-I, डीआरटी-II, दिल्ली, खाता आर i. 339/2014 के पक्ष में बोली/विक्रय राशि के 25% का डिमाण्ड ड्राफ्ट/पेऑर्डर ई-नीलामी की समाप्ति के 24 घण्टों के भीतर तैयार कराना हो और इसे कार्यालय वसूली अधिकारी-I, डीआरटी-II, दिल्ली के पास ई-नीलामी बन्द होने के 24 घण्टों के भीतर भेजना/जमा करना होगा जिस असफल रहने पर जमा धरोहर राशि (ईएमडी) जब्त कर ली जायेगी।

14. सफल/उच्चतम संविदाकार को अधिकारी-I, डीआरटी-II, दिल्ली के समक्ष विक्रय प्रक्रिया की शेष 75% राशि अधिकारी-I, डीआरटी-I दिल्ली. खाता आर.सी. सं. 339/2014 के पक्ष में डिमाण्ड डाफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से सम्पत्ति की बिक्री की तिथि के 15वें दिन या इससे पर्व. ऐरं दिन को छोड़कर, अथवा यदि 15वां दिन रविवार या अन्य अवकाश है तो 15वें दिन के पश्चात प्रथम कार्यालयी दिवस पर रु. 1,000 तक 2% दर से तथा इस राशि के रु. 1000/– से अधिक होने पर 1% की दर से पाउण्डेज शुल्क सहित वसूली अधिकारी, डीआरटी–[के समक्ष जमा करेगा (75% की शेष राशि डाक द्वारा जमा करने के मामले में यह उपर्युक्त के अनुसार वसूली अधिकारी के पास पहुँच जानी चाहिए)। निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक की स्थिति में, बिक्री की नई उद्धोषणा जारी होने के बाद, संपत्ति को फिर से बेचा जाएगा। यदि अधोहस्ताक्षरी उचित समझे बिक्री के खर्च चुकाने के बाद जमा राशि सरकार द्वारा जब्त कर ली जाएगी और दोषी क्रेता संपत्ति या उस राशि के किसी भी हिस्से के सभी दावों व जब्त कर लेगा जिसके लिए इसे बाद में बेचा जा सकता है।

15. सफल/उच्चतम बोलीदाता इस फोरम के समक्ष जमा की जाने वाली प्रस्तावित नीलामी राशि पर लागू टीडीएस का भुगतान करने के लिए आयः अधिनियम की धारा 194–आईए के प्रावधानों का पालन करने के लिए स्वतंत्र होगा। ऐसी स्थिति में, सफल/उच्चतम बोलीदाता को शेष बिक्री अ का भुगतान करते समय इस फोरम के समक्ष उक्त राशि जमा करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

16. निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक की स्थिति में, बिक्री की नई उद्घोषणा जारी होने के बाद, संपत्ति को फिर से बेचा जाएगा। र अधोहस्ताक्षरी उचित समझे तो बिक्री के खर्च चुकाने के बाद जमा राशि सरकार द्वारा जब्त कर ली जाएगी और दोषी क्रेता संपत्ति या उस राशि ^ह किसी भी हिस्से के सभी दावों को जब्त कर लेगा जिसके लिए इसे बाद में बेचा जा सकता है। 17. सीएचएफआई/सीएच बैंक को सीडी पर विक्रय की घोषणा दस्ती, पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट तथा सम्पत्ति के स्पष्ट भाग पर चिपकाकर

18. बिक्री उद्घोषणा/आदेश अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा में ऐसे समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित की जायेगी जिसके वितरण का क्षेत्र व्यापक हो। 19. सीएचएफआई/सीएच बैंक को समाचार-पत्रों में विज्ञापन के प्रकाशन की पुष्टि करने तथा इस प्रकाशन के मूल प्रमाण को सुनवाई की तिथि

आसपास इम बजाकर करने के लिए निर्देशित किया जाता है और इसकी एक प्रति अधिकरण के नोटिस बोर्ड पर लगानी होगी।

20. यदि स्वीकार्य नहीं पाया गया तो किसी भी बोली को स्वीकार करने या सभी बोलियों को अस्वीकार करने या बिना कोई कारण बताए किसी समय नीलामी स्थगित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है और इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा।

मेरे हस्ताक्षर तथा मुहर सहित 01.08.2023 को दिया गया।

ऋण वसूली अधिकारी-II

V Vipul

विपुल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : यूनिट नं. 201, सी-50, मालवीय नगर, दिल्ली-110017

कॉरपोरेट कार्यालय : विपुल टेकस्क्वायर, गोल्फ कोर्स रोड, सेक्टर-43, गुड़गाँव-122009 CIN No.: L65923DL2002PLC167607, दूरभाष सं.: 0124-4065500, वेबसाइट : www.vipulgroup.in

वीडियो कांफ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-वीडियो साधनों के माध्यम से आयोजित होने वाली 32वीं वार्षिक साधारण बैटक की सूचना समाचार पत्र में दिनांक 11 अगस्त, 2023 को प्रकाशित हमारे विज्ञापन के संबंध में आगे एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायिव पहलुओं पर चर्चा करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा उसके अधीन गठित नियमों के साथ पठित कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जार्र पहिचुना । पर घर्चा करन के तिए कैपना आधानवम, 2013 (आधानवम) तथा उसके अधान गाठत गनवमा के साथ पाठत कारपारट काय मंत्रालय (एमसाए) द्वारा जाए परिपन्न मं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, सं. 17/2020 दिनांक 13 कंग्रेल, 2020, 7, 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020, नं. 02/2021 दिनांक 5 जिल्हा के उसके परिपन्न के उनुसार एक सामान्य स्थान पर कंपनी के सदस्यों की भीतिक उपस्थिति के बगैर पियुल तिमिटेड (कंपनी) की 32वीं वार्षिक साथारण बैठक (एजीएम) शनिवार, 30 सितन्बर, 2023 को दोपहर 12.30 वर्ज वीडियो कॉन्फ्रेसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो-विज्युल साधानों (ओएपीएम) के जरिए आयोजित करने जा रही है। इसके अलावा, मारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के परिपन्न सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएपडी/सीएसडी/सीएसडी/सीएपडी/सीडाईआएपी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020, सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएपडी/सीडाईआएपी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020, सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएपडी/सीडाईआएपी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020, सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएपडी/सीडाईआएपी/2020/79 दिनांक 15 जनवरी, 2021, सेबी/एचओ/सीडाईआएपी/2020/79 दिनांक 2020 के स्थान सेबिडाई के स्थान सेबडाई के सेबडाई के सेबडाई के स्थान सेबडाई के स्थान सेबडाई के सेबडाई के स्थान सेबडाई के सेबडाई सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020, संबी/एकओ/सीएमडी/सीपाईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021, संबी/एकओ/डीडीएचएल/ पी/सीआईआर/2022/0063 दिनांक 13 मई, 2022 तथा संबी/एकओ/सीआरडी/पी/सीआईआर/2023/4 दिनांक 5 जनवरी, 2023 (सी पिराज तथा इस संबंध में जारी अन्य लागू परिपत्नों के साथ इस संबंध में एससीए तथा/अथवा संबी द्वारा जारी अन्य कोई भी लागू परिपत्नों के अनुसार कंपनी सामान्य स्थल पर सदस्यों की मीतिक उपस्थिति के बगेर एजीएम की सूचना दिनांकित 11 अगरत, 2023 में निर्धारित व्यवसायिक पहलुओं पर चर्चा किया जाएगा। कंपनी की वार्षिक साधारण वैठक का मानित स्थल कंपनी का पंजीकृत कार्यालय यानी यूनिट नं. 201, सी-50, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017 है। कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम), सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं तथा प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (स्वी सूचीकरण विनयम) तथा एमसीए परिपत्नों के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की 32वीं एजीएम वीसी/ओएवीएम सुविधा के जिरए संचालित की जा रही है, जिसके तिए एक साधारण स्थल पर सदस्यों की मीतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। सदस्यगण सिर्फ वीसी/ओएवीएम के जिरए एजीएम में उपस्थित एवं माग ले सकते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अधीन कोरम की गणना के उद्देश्य के लिए वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में शामिल होने वाले सदस्यों की गणना की जाएगी। बोर्ड के प्रतिवेदन, निगमित अभिशासन प्रतिवेदन, लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित दिनीय विवरण सम्मिलित वार्षिक प्रतिवेदन के साथ उक्त सूचना सभी

बोर्ड के प्रतिवेदन, निगमित अभिशासन प्रतिवेदन, लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन तथा लंखा परीक्षित वित्तेष विवरण सम्मिलित वार्षिक प्रतिवेदन के साथ उक्त सूचना सभी सदस्यों को उनके पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भेज दिए गए हैं तथा वह कंपनी की वेबसाइट www.vipulgroup.in के साथ नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 तथा सूचीकरण विनियम के विनियम 44 के अनुसार एनएसडीएल द्वारा प्रवत्त इलेक्ट्रॉनिक वीटिंग प्रणाली ("रिमोट ई-वीटिंग") द्वारा कंपनी द्वारा अपने सदस्यों के लिए एजीएम सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर वोट डालने की सुविधा प्रदान की गई है तथा इन वोटिंग के जिए यवसायिक पहलुओं का निर्धारण किया जकता। रिमोट ई-वोटिंग की अविध मंगलवार, 26 सितम्बर, 2023 को सुवस 9.00 बजे आरम्भ झेगी एवं शुक्रवार, 29 सितम्बर, 2023 को अपराहन 5.00 बजे समाप्त होगी। उक्त तिथि एवं तारीख के उपरांत रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर एक बार अपना वोट डाल दिए जाने के बाद उन्हें उसमें बदलाव करने की अनुमित नहीं दी जाएगी। श्रीट ई-वोटिंग की अवधि के समाप्त होने पर संबंधित सेवा बंद कर दी जाएगी।

इलेक्ट्रॉनिक वीटिंग प्रणाली के जरिए वोट डालने की सुविधा एजीएम के दौरान उपलब्ध रहेगी तथा वीसी/ओएवीएम की सविधा के जरिए एजीएम में जपस्थित रहने वात इत्तरद्वानिक वाटिन प्रमाला के जारेए वाट डालन का सुवधा एजाएन क दारान उपलब्ध रहाना तथा वासा/डाएवाएम को सुवधा क जारेए एजाएम में उपास्थित रहन वाल सदस्यों तथा रिमोट ई-वोटिन के कारिए प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है तथा ऐसा करने के लिए उन पर पास्वी नहीं लगी है, वे एजीएम में ई-वोटिन प्रमाली के जिए वोट डालने के पात्र होंगे। रिमोट ई-वोटिन के जिए अपना वोट डाल चुके सदस्य एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं परंतु वे वाला वेट डालने के हकदार नहीं होंगे। सदस्यों का वोटाधिकार शनिवार, 23 सितम्बर, 2023 ("अंतिम तारीख") को कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके द्वारा घारित इक्विटी शेयरों के समानुपात के आधार पर होगा। कोई भी व्यक्ति अंतिम तारीख को कंपनी का सदस्य हैं वे रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में वोटिंग के जरिए एजीएम सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों

कोई भी व्यक्ति, जो एजीएम की सचना भेजने के बाद कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण कर कंपनी का सदस्य बनते हैं एवं अंतिम तारीख को शेयर धारण रखते हैं. अबहु मा ज्यार, आ उपार्च को यूना में का यूना के यूना के पार्च के विश्व के किया है कि किया है की किया है कि किया evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध मेज कर लॉग इन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। तथापि, कोई व्यक्ति आगर रिमोट ई-वोटिंग के लिए पहले से हैं एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं, तो वे अपने वर्तमान यूजर आईडी एवं पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वे अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो वे

www.evoting@nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प 'फॉरपॉट यूजर डिटेल्स'/पासर्वड' का इस्तेमाल कर अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं अथवा एनएसडीएल से नीचे उल्लेखित टोल फ्री सं. 1800 1020 990 तथा 1800 22 44 30 पर सम्पर्क कर सकते हैं। लॉग इन आईडी/यूजर आईडी तथा पासवर्ड हासिल करने की विस्तृत पद्धति एजीएम की सूचना में भी उपलब्ध है, जो कंपनी की वेबसाइट यानी www.vipulgroup.in

तथा एनएसडीएल की वेबसाइट यानी www.evoling@nsdl.com पर उपलब्ध है। रिमोट ई-बोटिंग की सुविधा के संबंध में किसी भी तरह के प्रश्न रहने पर कृपया www.evoling@nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध शेयरधारकों के लि ई-वोटिंग यजर मैनअल तथा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेशचन (एफएक्य) देखें अथवा एनएसडीएल की टोल फ्री नं. 18001020990 तथा 1800224430 पर सम्पर्क क

इन्याटम यूजर मनुजल तथा क्रिक्य जाता आरफ व्यवस्थ (एक्एक्ट्र) दख जववा एन्एक्जाएल का टाल का न. 1500 122555 तथा 150022मन50 पर सम्पर्क क अथवा voting@nsdl.co.in पर ईमेल करें । इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वेटिंग के संबंध में किसी भी तरह की शिकायत रहने पर सदस्यगण श्री श्रवण मंगला, महाप्रबंधक, टी-34, दूसरी मंजिल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-II, नई दिल्ली-110020 से ईमेल आईडी: info@masserv.com, दूरभाष सं.: 011-26387281-83 पर सम्पर्क कर सकते हैं अथवा कंपनी सचिव को

एरया, फजना, नह दिल्लान 10020 स. इसले आइडाः **Into@masserv.com**, दूरमाष स.: 011-26367261-65 पर सम्पक कर सकत हे अथवा कमना साधव का secretarial@vipulgroup.in पर ईमिन येज सकते हैं। **एतद्वारा पुनः सूचित किया जाता है** कि कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 91 तथा सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं तथा प्रकटीकरण जरूरत) विनियम, 2015 के विनियम 42 के प्रावधानों के अनुपालन के तहत एजीएम के उद्देश्य हेतु सदस्यों के रजिस्टर एवं कंपनी की अंतरण पुस्तिका शनिवार, 23 सितम्बर, 2023 से शनिवार 30 सितम्बर, 2023 तक (दोनों दिन सहित) बंद रहेगी।

साधारण तीर पर, बैठक में उपस्थित होने तथा मतदान के योग्य सदस्य अपनी जगह पर उपस्थित होने तथा मतदान करने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त कर सकते हैं तथ तावारण तार पर, बच्चन राजास्यक नहीं है। बुक्ति उपरोक्त सर्वकारों आ पर उपरस्ता होने तथा गयाने करने के लिए आपानी व प्रतिनिधि को सदस्य होना आक्स्यक नहीं है। बुक्ति उपरोक्त सकेलों के अनुसार वीसीओएपीएम के जिए एजीएम के आयोजन होने के कारण सदस्यों की मीतिक रू से उपस्थिति की जरूरत नहीं है। फलस्वरूप, एजीएम के लिए सदस्यों द्वाग प्रतिनिधियों की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी तथा अतएव प्रतिनिधित्व प्रापत्र तथ

उपस्थिति पर्ची यहां संलग्न नहीं किया गया है। उपारचात पंचा पढ़ा राज्य नहां करना पढ़ा है. इस सुचना के जारि किए जाने से एजीएम की तारीख तक सदस्यों द्वारा बिना किसी शुल्क का मुगतान किए सूचना में उल्लेखित संबंधित दस्तावेज निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध होंगे। इस दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य **secretarial@vipulgroup.in** पर ईमेल भेज सकते हैं। खाते के संबंध में अथवा एजीएम में प्रस्तत किए जाने वाले किसी भी मामले के संबंध में किसी भी तरह की जानकारी मांगने वाले सदस्यों से शनिवार, 23 सितम्बर, 2025

अथवा उससे पहले कंपनी के पास secretarial@vipulgroup.in पर मेल के जरिए लिखने का अनुरोध किया जाता है। कंपनी द्वारा उपयुक्त रूप से

दिया जाएगा। पूर्ववर्ती वर्षों के लिए अपने लामांश अधिपत्र को जिन सदस्यों ने अब तक नहीं मुनाया है उनसे अपने लामांश का दावा करने के लिए कंपनी के पंजीकृत अथवा कारपोरेट कार्यालय के सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट में पत्राचार करने का अनुरोध किया जाता है। 30 सितम्बर, 2022 तक यानी अंतिम वार्षिक साधारण बैठक की तारीख तक दावारहित लामांश का विवरण कंपनी की वेबसाइट www.vipulgroup.in के निवेशक खंड में उपलब्ध है। सदस्य ध्यान दे कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी को नवम्बर, 2016 महीने में कंपनी के निवेशक मंडल द्वारा घोषित अंतरिम लामांश जो अमुक्त लामांश खाते में हस्तांतरण की तारीख से सात वर्षों की अवधि के लिए कंपनी के पास दावारहित के रूप में पढ़ी हुई उस राशि को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में हस्तांतरण की

जारप्यस्ता होगा। सभी सदस्यों से अपने ई-मेल एड्रेस कंपनी के पास पंजीकृत कराने का अनुरोध किया जाता है। हरित पहल के समर्थन में कंपनी आपको वार्षिक प्रतिवेदन तथा अन्य प्रासंगिक जानकारी तथा दस्तावेज आपके पंजीकृत ई-मेल पते पर भेजेगी। ई-मेल एड्रेस का पंजीयन कंपनी एवं मूल्यवान हिस्सेदार के रूप में आपके के साथ बेहतर तरीवे

से संचार करने में सहायक साबित होगी, तथा संचार पर होने वाले व्यय में भी कटीती होगी तथा सबसे महत्वपूर्ण है कि कागज के इस्तेमाल में कटीती से पर्यावरण की सुरक्षा होगी। ई-मेल एड्रेस के पंजीयन के लिए कृपया अपना ब्यौरा secretarial@vipulgroup.in अथवा info@masserv.com पर भेजें। ई-बोटिंग की प्रक्रिया के साथ एजीएम के दौरान ई-बोटिंग को स्वच्छ एवं पारदर्शी रूप से संचालित करने के लिए ई-बोटिंग की प्रक्रिया की जांच के लिए जांचकत्ती के रूप में मैसर्स एवीए एसोसिएट्स अपने साझेदार श्री अमिताम, अन्यासरत कंपनी सचिव (सदस्यता सं. ए14190, सीओपी सं. 5500) को नियुक्त किया गया है। बैठक के दौरान जो सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं अथवा प्रश्न पूछना चाहते हैं उन्हें शनिवार 23 सितम्बर, 2023 (शाम 6,00 बजे भामास) अथवा उससे पहले secretarial@vipulgroup.in पर अपना नाम, डिमैट खाता संख्या/फोलियो नम्बर, ई-मेल आईडी तथा मोबाइल नम्बर भेज कर एक वक्ता के रूप में स्वयं का करणसम्बद्धाः करना होगा। वक्ता के रूप में जिन सदस्यों का पंजीयन किया जाएगा एजीएम के दौरान सिर्फ वही विचार व्यक् के पास एजीएम के लिए समय की उपलब्धता के अनुसार उपस्थित रहने वाले वक्ताओं की संख्या को प्रतिबंधित करने का अधिकार सुरक्षित है।

रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम के दौरान डाल गए योट के परिणाम को एजीएम के समापन से दो कार्यकारी दिससे के अंदर घोषित कर दिया जाएगा। घोषित परिणामों की घोषणा के तुरंत बाद घोषित परिणामों के साथ जांचकर्ता के प्रतिदेदन कंपनी की वेबसाइट www.vipulgroup.in तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting@nsdl.com पर जारी किया जाएगा तथा स्टॉक एक्सचेंज जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध है यानी बीएसई तथा एनएसई को सूचित किया जाएगा एवं उनकी वेबसाइट www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर भी उपलब्ध रहेगा।

कृते विपुल लिमिटेर सुनील कुमार कंपनी सचिव

स्थान : गुरुग्राम तारीख : 04 सितम्बर, 2023

SHRIRAM

SHRIRAM City

श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व की श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड)

पंजीकृत कार्यालय : 14ए, श्री टॉवर्स, साउथ फेस इंडस्ट्रियल एस्टेट, गुइन्डी, चेन्नई 600 032 शाखा कार्यालय : कार्यालय सं. एफ-01, प्रथम तल, मंगलम फन स्क्वैयर, दुर्गा नर्सरी रोड, उदयपुर-313001, राजस्थान, वेबसाइट : www.shriramfinance.in

मॉग सूचना

नोट : यह सचित किया जाता है कि एनसीएलटी. चेन्नई के आदेश के अनसार ''श्रीगम सिटी यनियन फाइनेंस लिमिटेड' को ''श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस लिमिटेड'' के साथ समामेलित किया गया है। इसके बाद ''श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस लिमिटेड' का नाम बदलकर "श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड" कर दिया गया, जो दिनाक 30-11-2022 के नाम परिवर्तन के अनुसार निगमन प्रमाणपत्र के माध्यम से 30.11.2022 से प्रभावी हो गया।

जैसा कि यहां नीचे उल्लिखित कर्जदारों/सह-कर्जदारों/जमानितयों ने श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व का श्रीराम सिटी युनियन हाइनेस लिमिटेड) से वित्तीय सहायता ग्रहण को थी। हमारा कहना है कि वित्तीय सहायता ग्रहण करने के बावजू कर्जदारों/जमानतियों ने नियत तिथियों के अनुसार ब्याज तथा मूलधन के पुनर्भुगतान में विभिन्न चूक की हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों/दिशा-निर्देशों के अनुसार खाते को नॉन-पर्फार्मिंग आस्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत तथा प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) में प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में निम्नलिखित कर्जदारों/जमानतियों/बंधककर्ताओं से सूचनाओं में उल्लिखित राशि पर अनुबंध दर से भावी ब्याज सहित भुगतान की तिथि तक आकस्मिक व्ययों, लागत, प्रभारों आदि के साथ राशि का सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने को कहते हुए सरफैसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नीचे उल्लिखित संबद्ध तिथियों पर मांग सूचनाएं जारी की थीं।

उनके अन्तिम ज्ञात पते पर भेजी गर्यी सूचनाएँ अनसर्व्ड वापस कर दी गर्यीऔर उन्हें इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से इसी के विषय में सूचित किया जा रहा है।

प्रतिभूत आस्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

		तथा ऋण राशि
टDUD2LP2207210001 मैसर्स श्रीजी गोल्ड (प्रोपराइटर भूपेन्द्र जिरवा) (कर्जदार) 3, कृष्णा कॉम्प्लेक्स, क्लॉक टॉवर, उदयपुर-313001 श्री भूपेन्द्र जिरवा पुत्र हर गोविंद जिरवा (सह-कर्जदार/गारंटर) पत्नैट नंबर बी-जी-003, प्लॉट नंबर 1-2-बी, नया आरटीओ कार्यालय, भुवाना, उदयपुर, 313001 श्री चंद्र प्रकाश जिरवा पुत्र हर गोविंद जिरवा (सह-कर्जदार/गारंटर) किर्तिवया गहती, नाथद्वारा, राजसमंद-313301 श्रीमती अंजनी कुमारी सिंह पत्नी भूपेन्द्र जिरवा (सह-कर्जदार/गारंटर) पत्नैट नंबर बी-जी-003, प्लॉट नंबर 1-2-बी, नया आरटीओ कार्यालय, भवाना, उदयपर-313001	रु. 5195061/- (रुपये इक्यावन लाख पिचानबे हजार इकसट मात्र) ऋम सं. CDUD2LP22 07210002 तथा CDUD2LP22 07210001 का, फोर क्लोजर राशि दिनांक 21.08.2023 के अनुसार तथा नियम एवं शर्तों के अनुसार ब्याज एवं	ऋण सं. CDUD2LP 2207210002 रु. 13,50,000/- (रुपये तेरह लाख पचास हजार मात्र) का तथा CDUD2LP 2207210001 रु. 36,50,000/- (रुपये छत्तीस लाख पचास हजार मात्र)

प्रतिभूत अस्तियों का सम्पत्ति पता

फ्लैट नंबर बी-जी 003 का समस्त भाग, 'मनीष एन्क्लेव-बी' में, (अमर विला-बी के रूप में भी जाना जाता है), प्लॉट नंबर 1-2 बी, नया आरटीओ कार्यालय (खसरा नंबर 4380,4381 एवं 4382) ग्राम-भुवान, उदयपुर (राजस्थान) पर स्थित, निर्माण क्षेत्र–1001 वर्ग फुट (सुपर बिल्ड-अप एरिया-1484 वर्ग फीट)। सीमा विवरण:- पूर्व- सड़क से 60 फीट पीछे, पश्चिम- फ्लैट संख्या बी-जी-006 से पीछे गलियारा, उत्तर- फ्लैट संख्या बी-जी-002, दक्षिण- फ्लैट संख्या बी-जी-004।

संपत्ति-2 - प्लॉट नंबर 64 और 65, अराजी नंबर 4331, राजस्व गांव-उमरदा, तहसील-गिरवा, उदयपुर (राज.) में स्थित का सम्पूर्ण भाग, माप 3600 वर्ग फुट, सीमा विवरणः- पूर्व- सड़क 30 फीट, पश्चिम- प्लॉट संख्या 61 और 62, उत्तर- प्लॉट संख्या

उपर्युक्त परिस्थितियों में, एतद्वारा उपर्युक्त कर्जदारों, सह-कर्जदारों तथा/अथवा जमानतियों (जो भी प्रयोज्य हो) को ऊपर उल्लिखित के अनुसार भावी ब्याज तथा प्रयोज्य प्रभारों सहित बकाया राशि का इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा जाता है, जिसमें कथित 60 दिनों की समाप्ति के पश्चात असफल होने पर वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) एवं उसके तहत प्रयोज्य नियमों के अन्तर्गत कर्जदारों तथा बंधककर्ताओं की प्रतिभूत आस्तियों पर कब्जा लेने सहित प्रतिभूत आस्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी कृपया ध्यान दें कि कथित अधिनियम की धारा 13(13) के तहत कोई भी कर्जदार प्रतिभूत लेनदार की पूर्व सहमति के बिना इस सूचना में सन्दर्भित किसी भी प्रतिभूत आस्ति को पट्टे, बिक्री या अन्यथा विधि से हस्तान्तरित नहीं कर सकेगा।

स्थान : उदयपुर ह./ अधिकृत प्राधिकारी श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड दिनांक : 05.09.2023

एसएमसी इंश्योरैस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड

आईआरडीएआई-डायरेक्ट ब्रोकर | लाइसेन्स नंबर : डीबी-272/04/289 | संवर्ग - डायरेक्ट जाइसेन्स की वैधता 27-01-2026 तक । सीआईएन नंबर : U66000DL1995PTC172311 पंजी. कार्यालय : 11/6बी, शांति चैम्बर, पूसा रोड, नई दिल्ली-110005 फोन : +91–11–25754365 । ई–मेल : smc@smcindiaonline.com वेबसाइट : www.smcindiaonline.com

शेयर पूंजी कम करने के पंजीकरण की सूचना

एतदद्वारा सचना दी जाती है कि माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण नई दिल्ली ("एनसीएलटी") ने याचिका संख्या 128/एनडी/2021 के तहत एक आदेश दिनांकित 23–11–2022 द्वारा एसएमसी इंश्योरैंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड की शेयर पूंजी कम करने की पृष्टि की है। इसके अतिरिक्त, रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली ("आरओसी") ने, दिनांक 28-08-2023 को, कम्पनी की शेयर पूंजी कम करने को अमल में लाने हेतु उक्त आदेश तथा माननीय एनसीएलटी द्वारा अनुमोदित संक्षिप्त विवरण, जिसमें उक्त आदेश द्वारा संशोधित कम्पनी की पूंजी तथा शेयर्स का विवरण दर्शाया गया है, की प्रति पंजीकृत कर ली है।

माननीय एनसीएलटी द्वारा अनुमोदित तथा आरओसी द्वारा पंजीकृत संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है : "कम्पनी की प्रदत्त पूंजी इसकी प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी की 63.77 प्रतिशत घट जाएगी। विद्यमान निर्गत, अंशदानकृत और प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी रू. 10 / – (रूपए दस) प्रत्येक के 4,14,00,000 (चार करोड़ चौदह लाख) इक्विटी शेयर्स की कुल योग राशि रू. 41,40,00,000 (इकतालीस करोड़ चालीस लाख) है जो कम्पनी के प्रत्येक शेयरधारक से क्रमानुसार यथानुपात आधार पर घट कर . 10/- (रूपए दस) प्रत्येक के 1,50,00,000 (एक करोड़ पचास लाख) इक्विटी शेयर्स की कुल योग राशि रू. 15,00,00,000 (पंद्रह करोड) हो जाएगी।

वास्ते एसएमसी इंश्योरॅंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड

हस्ता. / प्रवीण कुमार अग्रवाल पूर्ण कालिक निदेशक डीआईएन : 00197478



बी.ए.जी.फिल्म्स एंड मीडिया लिमिटेड

CIN: L74899DL1993PLC051841 पंजी.कार्यालय: 352, अग्रवाल प्लाजा, प्लाट नं. 8 कोंडली, नई दिल्ली—110096 निगमित कार्योः एफसी—23. सेक्टर—16ए, फिल्म सिटी, नोएड़ा—201301 उ.प्र. Tel: 91 120 460 2424, Fax No. 91 120 3911 401 Web: www.bagnetwork24.in. Mail: info@bagnetwork.in

30वीं वार्षिक साधारण बैठक की सूचना ई—वोटिंग और बुक क्लोजर सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि **बी. ए. जी. फिल्म एंड मीडिया लिमिटेड** ("कंपनी") के सदस्यों की **30वीं वार्षिक साधारण बैठक ("एंजीएम")** कॉमन स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम के द्वारा वार्षिक साधारण बैठक आयोजित करने की प्रक्रियाएं व तरीके निर्धारित करते हुए क्रमशः साधारण परिपन्न सं. 14 / 2020 व 17 / 2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, दिनांक 13 अप्रैल, 2020 और परिपन्न नं. 02 / 2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, परिपन्न सं. 21 / 2021 दिनांक 14 दिसंबर, 2021 और 02 / 2022 दिनांक 05 जनवरी, 2021, परिपन्न सं. 21/2021 दिनांक 14 दिसंबर, 2021 और 02/2022 दिनांक 05 मई, 2022, परिपन्न सं. 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर (समग्र रूप सं "एमसीएम परिपन्नों के रूप में संदर्भित) और भारतीय प्रतिमृति विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी परिपन्न सं. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020, परिपन्न सं. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021, परिपन्न सं. SEBI/HO/CDD/PO-2/P/CIR/2022/063 दिनांक 13 मई, 2022 और परिपन्न सं. SEBI/HO/CRD/POD-2/P/CIR/2023/4 दिनांक 05 जनवरी, 2023 ("समग रूप सं सेबी परिपन्न के रूप में संवर्भि") के अनुपालन में, वीडियो कांक्रेसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुखन माध्यमाँ (ओएवीएम) द्वारा बृबवार, 27 सितंबर, 2023 को शाम 4.00 (मामास) पर आयोजित की जाएगी। कार्यनी अनुपालन म, बााड्या काफ्रासन ("वासा") / अन्य आडिया विजुञ्जल माध्यमी ('ओएवीएम') द्वारा बुधवार, 27 सितंबर, 2023 को शाम 4.00 (भामास) पर आयोजित की जाएगी। कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों, एमसीए परिपत्रों और सेवी परिपत्रों के साथ पठित सेवी (सूचीबद्ध देयताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015, ("सेबी सूचीबद्ध विनियम)") के अनुपालन में, कंपनी के सदस्यों की एजीएम वीसी / ओएवीएम द्वारा आयोजित की जाएगीं।

अर्थाजार मार्चित करियात्रों और सेबी परिपत्रों के अनुपालन में, 30वीं एजीएम की सूचना और कंपनी की वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की इलैक्ट्रानिक प्रतियां, उन सभी संदर्भों को 01 सितंबर, 2023 को भेजी जा चुकी हैं जिनके ई-मेल पते कंपनी या रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट या डिपोजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं। ये कंपनी की वेबसाइट www.bagnetwork24.in, स्टॉक एक्सचेंज अर्थात् बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और

स्टाक एक्सचज आफ इंडिया लिमिटड को वंबसाइट क्रमश: www.bseindia.com आर www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है और नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरीज लिमिटेड (एनएसडीएल) की ई—वोटिंग वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है । अधिनियम की धारा 91 के प्रावधानों और उसके साथ बने नियमों और सेबी सूचीबद्ध विनियमों के विनियम 42, संशोधित अनुसार, के अनुपालन में, सदस्यों के रिजस्टर और कंपनी की शेयर हस्तातरण बुक्स एजीएम के उद्देश्य के लिए गुरुवार, 21 सितंबर, 2023 से बुधवार, 27 सितंबर, 2023 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगी।

रेसी सूचीबृद्ध विनायमां के विनियम 44, कंपनी (प्रबंधन व प्रशासनिक) नियमावली, 2014 के नियम 20 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सैक्टरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी साधारण बैठक पर सचिवीय मानक, समय—समय पर संशोधित अनुसार, इडिया द्वारा जारी साधारण बठक पर सायवाय मानक, समय-समय पर संशाधित अनुसार, सदस्यों को एनएसडीएल द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रानिक वोटिंग सिस्टत (ई–वोटिंग) का प्रयोग कर 30वीं एजीएम की सूचना में वर्णित अनुसार सभी प्रस्तावों पर अपने वोट डालने की सुविधा दी गई हे। सदस्यों के वोटिंग अधिकार **कट—ऑफ डेट अर्थात् बुधवार, 20 सितंबर, 2023** तक कुंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके द्वारा आयोजित इक्विटी शेयरों के अनुपात में होंगे। रेमोट ई–वोटिंग / ई–वोटिंग और एनएसडीएल द्वारा वीसी /ओएवीएम के माध्यम्

एजीएम में उपस्थित होने के लिए विस्तृत प्रक्रिया 30वीं एजीएम की सूचना में दी गई है। सदस्यों से 30वीं एजीएम की सूचना मुं वर्णित अनुसार ई–वोटिंग / एजीएम से संबंधित निर्देशों सभी सदस्यों को सूबित किया जाता है कि : 1. 30वीं एजीएम में वर्णित अनुसार एनएसडीएल के ई—वोटिंग प्लेटफॉर्म अर्थात् www.evoting.nsdl.com के माध्यम से इलेक्ट्रानिक माध्यमों द्वारा व्यापार का लेन—देन

रिमोट ई—वोटिंग की शुरुआत शनिवार, 23 सितंबर, 2023 को सुबह 9.00 बजे (भामास) होगी और समाप्त मंगलवार, 26 सितंबर, 2023 को शाम 5.00 बजे (भामास) पर होगी। इलैक्ट्रानिक माध्यमां (एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ एजीएम के दौरान ई-वोटिंग) द्वारा बोट करने की पात्रता निर्धारित करने के लिए **कट-ऑफ डेट** बुधवार, 20 सितंबर, 2023 है।

व्यक्ति जिसके नाम कट—ऑफ डेट तक सदस्यों के रजिस्टर या डिपोजिटरीज द्वारा बनाए गुए लामार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज़ हुँ, केवल वही एजीएम से पहले रिमोट ई—वोटिंग के साथ-साथ एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने के पात्र होंगे। 30वीं एजीएम की ई-मल के बाद कंपनी के शेयर लेने वाला और कंपनी का सदस्य बनने वाला व्यक्ति और कट—ऑफ डेट अर्थात् बुधवार, 20 सितंबर, 2023 तक शेयर रखने वाला ही evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भजकर यूजर आईडी व पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं हालांकि, ईं-वोटिंग के लिए पहले से रजिस्टर व्यक्ति, वोट डालने के लिए मौजूदा यूजर आईडी व पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।

बीझा व पासपंड का प्रधान कर तकरा है। वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थि सदस्य और जिन्होंने रिमोट ई— वोटिंग के माध्यम प्रस्तावों पर अपने वोट नहीं डाले हैं, और अन्यथा ऐसा करने के लिए बाधित नहीं हैं, एजीएम के दौरान ई—वोटिंग सिस्टम द्वारा वोट डालने के पात्र होंगे। सदस्य ध्यान दें कि (ए) रिमोट ई—वोटिंग माड्यूल ई—वोटिंग के लिए उपरोक्त तिथि व समय के बाद एनएसडीएल द्वारा बंद कर दिए जाएंगे,

(बी) एक बार सदस्यों द्वारा एक प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, उन्हें उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी ।

(सी) इलैक्ट्रानिक वोटिंग की सुविधा एजीएम में केवल उन्हीं सदस्यों के लिए उपलब्ध होगी जिन्होंने रिमोट ई—वोटिंग द्वारा अपने वोट नहीं डाले हैं। (डी) एजीएम से पहले रिमोट ई—वोटिंग द्वारा प्रस्ताव(ओं) पर अपने वोट डालने वाले सदस्य वीसी / ओएवीएम द्वारा एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे लेकिन वे ऐसे

सदस्य वासी/ आएवाएम द्वारा एजीएम म भाग लन के पात्र हांग लोकन व एस प्रस्ताव(ओ) पर दोबारा अपने वोट डालने के पात्र नहीं होंगे । इस सूचना में संवर्भित संबंधित वस्तावेज इलैक्ट्रानिक मोड के माध्यम से संवस्यों द्वारा जांच के लिए उपलब्ध हैं । सवस्य ई—मेल के विषय में "जांच का अनुरोध" वर्णित करते हुए इस संबंध में info@bagnetwork.in पर कंपनी को लिख सकते हैं । इलैक्ट्रानिक माध्यमों द्वारा वोटिंग / एजीएम से जुड़ी किसी पूछताछ / समस्या / शिकायत, यदि कोई है, श्री राजीव पाराशर, कंपनी सचिव — बी.ए.जी. फिल्म्स एंड मीडिया लिमिटेड, को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय / निगमित कार्यालय पर लिखकर कंपनी को प्रेषित कर सकते हैं या info@bagnetwork.in पर ई—मेल भेज सकते हैं या टेली: +91 120 460 2424 पर कॉल करें। जिन सदस्यों ने अपने ई—मेल पते रजिस्टर नहीं किए हैं / अपने बैंक खाते मैंडेट अपडेट नहीं किए हैं, कृपया निम्न निर्देशों का पालन करें:

फिजिकल होल्डिंग राजिस्ट्रार व शेयर हस्तांतरण एजेंट के साथ स्व—सत्यापित समर्थित दस्तावेजों व अन्य संबंधित फार्म के सहित विधिवत भरा हुआ निर्धारित फॉर्म आईएसआर—1 में विवरण रजिस्टर / अपङेट सदस्य https://bagnetwork24.in/ shareholders-corner कंपनी की वेबसाइट से निर्धारित फॉर्म डाउनलोड कर

संबंधित डिपोजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने ई—मेल पते रजिस्टर / अपडेट होल्डिंग

मैसर्स बालिका शर्मा एंड एसोसिएट्स, अभ्यासरत कंपनी सचिव (सदस्यता सं. एफसीएस 4816 और सीओपी सं. 3222) को निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से एजीएम से पहले रिमोट ई—वोटिंग प्रक्रिया और एजीएम के दौरान ई—वोटिंग की जांच करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा जांचकर्ता के रूप में

ार्चुर्य-प्रिया पित्र (एजीएम से पहले और ईजीएम के दौरान) से संबंधित किसी पूछताछ/शिकायत के मामले में आप शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछ जाने वाले प्रश्न (एफ्क्यूज़') और www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर पुस्तिका का संदर्भ ले सकते हैं या टोल फ्री नंबर पर कॉल करें : 022-4886 7000 और 022-2499 7000 या evoting.nsdl.co.in पर सुश्री पल्लवी मात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक— एनएसडीएल को अनुरोध भेजें। निदेशक मंडल के आदेशानुसार

बी.ए.जी.फिल्म्स एंड मीडिया लि. के लिए

स्थान : नोएडा

नियक्त किया गया है।

राजीव पराशर कंपनी सचिव